COURT FEE INDIA भारत दस रुपये TEN RUPEES CANCELLED

(2) (3)

CF 20/-

माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर छ.ग.

विविध प्रकरण कमांक 810 / 2003

Division Bench

विविध अपील अंतर्गत धारा 173 मोटरयान अधिनियम 1988

अपीलार्थी / आवेदक — अशोक पटेल आत्मज श्री कार्तिक राम पटेल उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम दरचूरा, पोष्ट दामाखेडा, थाना सिमगा, जिला रायपुर छ.ग., हाल मुकाम – गोगांव, थाना खमतराई, जिला रायपुर छ.ग.

वि रु द्ध

उत्तरवादी / अनावेदकगण

1. मुकेश गुप्ता आत्मज अनंत राम गुप्ता निवासी सदर बाजार धमतरी, तहसील व जिला धमतरी छ.ग., हाल मुकाम – सिल्लू हॉटल के पास, पचपेढ़ीनाका, थाना टिकरापारा, तहसील व जिला रायपुर छ.ग. (वाहन जीप कमांक सी जी 04–7054 का चालक)

P. R. No. 12/6/03
Presented by Shri K. Ramadan
dated 31/03/03

2. दिनेश कुमार मिश्रा आत्मज मोती लाल मिश्रा, निवासी पचपेढ़ीनाका, थाना टिकरापारा, तहसील व जिला रायपुर (वाहन जीप कमांक सी जी 04–7054 का पंजीकृत स्वामी

कपथ आयुक्त ए.के शुक्ला बिलासपुर तहसील क्षेत्र 31/3/03

3. दी ओरियंटल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, द्वारा संभागीय प्रबंधक, दी ओरियन्टल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मदीना बिल्डिंग, कचहरी चौक, जेल रोड, रायपुर छ.ग. (वाहन जीप कमांक सी जी 04–7054 का बीमाकर्ता)

मांगी गई क्षतिपूर्ति राशि	8,00,000/ – रूपये
प्रदत्त क्षतिपूर्ति राशि	27,000/ – रूपये
क्षतिपूर्ति दावा	6,73,000/ रुपये

(26)
(4)

अशोक पटेल विरुद्ध मुकेश गुप्ता वगैरह के दावा प्रकरण क्रमांक 88/02 में माननीय प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण रायपुर छ.ग. श्री ए.के. शुक्ला द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 13.3.03 से क्षुब्ध एवं व्यथित होकर (अपीलार्थी / आवेदक) निम्न तथ्यों एवं आधारों पर यह अपील प्रस्तुत कर रहा है : -

(45)

LOK ADALAT

Chhattisgarh High Court Campus, Bilaspur

Case No. MA-810 of 2003

Appellant: Ashok Patil

Versus

Respondent: Mukesh Gupta & 2 others

Appellant with / by Shri C.R. Sahu Advocate

Respondent No 3 with / by Shri K.S. Chhabra, Sr. Divisional Manager, OIC, Raipur alongwith Shri. Chitra Shrivastava, Adv.
None for other Respondents

AWARD

(Passed on 05-08-2006)

Parties file a compromise petition. The terms are just. We hereby record the compromise and pass an award in terms of compromise, and order that ~~appellant~~ / respondent No 3 shall pay to ~~respondent~~ / appellant a sum of Rs. 30,000/- (Rs. Thirty Thousand only) by way of compensation ~~together with interest @ _____ % per annum from _____ to _____~~ in addition to the amount already paid / awarded by the Claims Tribunal.

LOK ADALAT
High Court of Chhattisgarh, Bilaspur
सत्यमेव जयते

Sd/-
Member - Lok Adalat
High Court of Chhattisgarh
BILASPUR
5/8/2006

Sd/-
Sunil Kumar Sinha
Judge